In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 120/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-9 dated 31 January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 120/2018/5(120)/ XXVII(8)/2017/CT-9
Dehradun :: Dated:: 31 January, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 146 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and in supersession of the notification of the Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 495/2017/ 9(120) /XXVII(8)/2017 dated 21 June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to allow to notify www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

(1) For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and

(2) For the purposes of this notification, "www.ewaybillgst.gov.in" means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-9
देहरादून:: दिनांक:: 31 जनवरी, 2018
अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 495/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 21 जून, 2017 को, उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय, विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल और इलेक्ट्रोनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवाकर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण.-

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है, जिसका प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है;

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है, जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है; और

2. यह अधिसचूना दिनांक 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 120/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/ CT-9 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

DT:/GST Notification/ Amendment in Noti. 495 Dated 21-06-2017(22-01-2018)